भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2462
उत्तर देने की तारीख : 1 अगस्त, 2022

पेशेवर और गैर-पेशेवर कलाकारों के लिए पेंशन योजना

2462. **श्रीमती पूनमबेन माडम :**

श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेशेवर और गैर-पेशेवर कलाकारों के लिए पेंशन योजना या किसी अन्य वित्तीय सहायता का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक रूप से खराब परिस्थितियों में सभी सांस्कृतिक कलाकारों को केंद्रीय पेंशन मंजूर की जाए, अब तक क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर
(जी. किशन रेड्डी)
संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(क): जी हां। संस्कृति मंत्रालय वयोवृद्ध व्यावसायिकों और गैर-व्यावसायिकों कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ''वयोवृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता की स्कीम'' (पूर्व में कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता स्कीम) का संचालन करता है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय ''कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति स्कीम'' नामक एक स्कीम का संचालन भी करता है जिसके निम्नलिखित 03 घटक है :-

(i) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना (एसवाईए)।

(ii) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना।

(iii) सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना।

उपरोक्त के अलावा, संगठनों के लिए अन्य स्कीमों के माध्यम से व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक कलाकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जैसे रेपर्टरी अनुदान, सांस्कृतिक समारोह निर्माण अनुदान आदि।

(ख): (i) इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न लोक कलाकारों (व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कलाकार दोनों) सहित वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम को संचालित किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों (इनकी आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वार्षिक आय 48,000/- रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए) को 6000/- रु. प्रति माह की पेंशन प्रदान करना है जिन्होंने काल, साहित्य आदि के उनके विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अब वे अभावग्रस्त स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं।

(ii) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना (एसवाईए) – 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के चयनित लाभार्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 5000/- रु. चार बराबर छमाही किस्तों में छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। अभ्यर्थी को किसी गुरु या संस्थान में 05 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(iii) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना- 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु (वरिष्ठ) के चयनित अध्येताओं को सांस्कृतिक शोध के लिए 02 वर्ष हेतु क्रमशः प्रतिमाह 10,000/- रु. और 20,000/- रु. की दर से अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है। एक बैच वर्ष में 400 तक वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है।

(iv) सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति इस स्कीम के तहत दो श्रेणियों यथा टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और टैगोर अनुसंधान छात्रवृत्ति 04 अलग समूहों में विभिन्न प्रतिभागी संस्थानों के तहत संबद्धता के आधार पर सांस्कृतिक अनुसंधान कार्य करने के लिए अध्येतावृत्ति। अंतिम चयन, मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) द्वारा किया जाता है।

(ग) : 'वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम' और 'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति स्कीम' के तहत अंतिम चयन के अनुसार लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार मौजूदा संख्या क्रमशः **अनुलग्नक-क** और **ख** पर दिया गया है। तथापि, यह नोट किया जाए कि संस्कृति मंत्रालय की सभी स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(घ) : ''वयोवृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता स्कीम'' के तहत वयोवृद्ध कलाकारों को पेंशन की स्वीकृति प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। कलाकारों को पेंशन की स्वीकृति के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाती है। इसके अलावा, चयनित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से पेंशन का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती आ रही है।

अनुलग्नक-क

पेशेवर और गैर-पेशेवर कलाकारों के लिए पेंशन योजना के संबंध में दिनांक 1 अगस्त, 2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2462 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य	चयनित कलाकारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	91
2.	असम	02
3.	बिहार	-
4.	दिल्ली	-
5.	गोवा	-
6.	गुजरात	-
7.	हरियाणा	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-
9.	जम्मू और कश्मीर	-
10.	झारखंड	-
11.	कर्नाटक	03
12.	केरल	08
13.	मध्य प्रदेश	-
14.	महाराष्ट्र	547
15.	मणिपुर	-
16.	मेघालय	-
17.	मिजोरम	-
18.	नागालैंड	-
19.	ओडिशा	1260
20.	पुदुचेरी	-
21.	पंजाब	-
22.	राजस्थान	-
23.	तमिलनाडु	01
24.	तेलंगाना	306
25.	त्रिपुरा	-
26.	उत्तर प्रदेश	01
27.	उत्तराखंड	-
28.	पश्चिम बंगाल	32
कुल		**2251**

अनुलग्नक-ख

पेशेवर और गैर-पेशेवर कलाकारों के लिए पेंशन योजना के संबंध में दिनांक 1 अगस्त, 2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2462 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों (एसवाईए) में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति	सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
1.	अंडमान और निकोबार	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	3	4	01
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	-
4.	असम	27	23	-
5.	बिहार	16	13	-
6.	चंडीगढ़	3	1	-
7.	छत्तीसगढ़	11	3	-
8.	दिल्ली	24	37	13
9.	गुजरात	6	8	-
10.	गोवा	2	1	-
11.	हरियाणा	5	9	-
12.	हिमाचल प्रदेश	-	4	-
13.	जम्मू और कश्मीर	1	4	-
14.	झारखंड	8	10	-
15.	कर्नाटक	28	17	-
16.	केरल	20	31	-
17.	मध्य प्रदेश	26	23	-
18.	महाराष्ट्र	42	27	02
19.	मणिपुर	8	16	-
20.	मेघालय	-	1	-
21.	मिजोरम	-	-	-
22.	नागालैंड	-	1	-
23.	ओडिशा	25	30	-
24.	पुदुचेरी	-	1	-
25.	पंजाब	4	4	-

26.	राजस्थान	10	10	-
27.	सिक्किम	1	-	-
28.	तमिलनाडु	18	9	05
29.	तेलंगाना	3	11	-
30.	त्रिपुरा	2	1	-
31.	उत्तर प्रदेश	36	61	03
32.	उत्तराखंड	3	6	-
33.	पश्चिम बंगाल	67	34	04
कुल		400	400	28